

फा० सं० 10/06/2022-SEZ/

6666
11/08/2025

दिनांक: 11/08/2025

(ई मेल के माध्यम से)
सेवा में,

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002.
3. आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201306.
4. प्रधान आयुक्त, आयकर, प्लॉट सं- ए-2 डी, आयकर भवन, सेक्टर- 24, नोएडा।
5. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नोएडा।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं 01, नॉलेज पार्क- 4, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रदेश)।
8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा।
9. उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, कालिन्दी कुञ्ज, जी टी रोड, खुर्जा - 203131 (उत्तर प्रदेश)।
10. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता / सह-विकासकर्ता।

विषय: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 06/08/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 06/08/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।


भवदीय,
11/08/25
(नौमान हाफिज)
उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
3. उप विकास आयुक्त (ग्रेटर नोएडा)।
4. सम्बंधित विनिर्दिष्ट अधिकारी।


11/08/25
उप विकास आयुक्त

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

दिनांक 06.08.2025 को सुबह 10:30 बजे श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा (उत्तर प्रदेश) में स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- i. श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
 - ii. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त सीमा शुल्क, नोएडा
 - iii. श्री मयंक जैन, सहायक प्रबंधक, उद्योग विभाग, डीआईसी, नोएडा
 - iv. सुश्री अलका मिश्रा, आईटीओ, नोएडा।
 - v. श्रीमती हेमलता हेडाऊ, सहायक विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)
- इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री ग्या प्रसाद, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) श्री नोमान हाफिज, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) श्री रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी (iv) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय सहायक विकास आयुक्त और (iv) श्री अनुज दीक्षित, यूडीसी/डीलिंग हैंड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।
 - प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/ विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, जहां भी आवश्यक हो, निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

मद संख्या 1. दिनांक 03.07.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

चूंकि 03.07.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, 03.07.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

मद संख्या 2. अधिकृत परिचालनों को जारी रखने के लिए मदों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

2.1 टीएलजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

2.1.1 अनुमोदन समिति ने उल्लेख किया कि इस मामले पर दिनांक 03.07.2025 को हुई पिछली अनुमोदन समिति बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। प्रस्ताव पर पुनः विस्तार से चर्चा की गई और उचित विचार-विमर्श के बाद, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इकाई के अनुमानों को संशोधित करने के निर्णय की पुष्टि की गई। समिति ने यह भी उल्लेख किया कि इसके लिए अनुमोदन की सूचना इकाई को 05.08.2025 को ही दे दी गई है।



2.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, विकासक द्वारा प्लॉट संख्या 21, सेक्टर-टेकजोन-IV, जीआर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में निम्नलिखित अधिकृत संचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दी:-
(रुपए लाख में)

विवरण (पाँच वर्ष के लिए)	अनुमोदित प्रक्षेपण	संशोधित अनुमान
निर्यात का एफओबी मूल्य	176404.57	176404.57
विदेशी मुद्रा व्यय	11306.27	4092.12
एनएफई आय	165098.30	172312.45

मद संख्या 3: अधिकृत परिचालनों के लिए सामग्री की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

3.1 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विकासक

3.1.1 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के समूह प्रबंधक श्री नवीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विकासक द्वारा प्लॉट संख्या 3ए, 3बी और 2सी, सेक्टर-126, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में निम्नलिखित अधिकृत संचालन हेतु प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को अनुमोदित किया:-

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफ़ॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1.	छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	220.23
2.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें स्रोत तक समर्पित) (लाइनें, सीवेज लाइनें, तूफानी जल नालियाँ और उचित क्षमता वाले जल चैनल।	02	3.90
3.	बिजली (बिजली बैकअप सुविधाओं सहित) केवल निजी उपयोग के लिए।	23	73.06
4.	प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	1111.93
5.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	1019.46
6.	इंटरनेट संयोजकता (Internet connectivity) सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	05	689.60
7.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	24	299.51
	कुल		3417.69

और

 2

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1.	स्ट्रीट लाइटिंग, संकेत और साइनेज युक्त सड़कें।	01	0.50
2.	इंटरनेट संयोजकता (Internet connectivity) सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	05	2.40
3.	प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	41.29
4.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	220.50
	कुल		264.69

3.1.3 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.2 मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड, विकासक

3.2.1 मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रितेश रंजन, श्री नवीन सिंह और श्री श्याम सुंदर लक्ष्मीनारायण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स इंफोसिस लिमिटेड, विकासक द्वारा प्लॉट संख्या A-01 से A-06, सेक्टर-85, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में निम्नलिखित अधिकृत संचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को अनुमोदित किया: -

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1.	छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	190.80
2.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	75.00
3.	प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	2555.00
4.	बिजली (बिजली बैकअप सुविधाओं सहित) केवल निजी उपयोग के लिए।	23	52.00
5.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली	25	4827.23
6.	प्रसंस्करण क्षेत्र में कर्मचारियों का कैफेटेरिया/कैंटीन	27	1108.00
	कुल		8808.03



3.2.3 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.3 मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) लिमिटेड, विकासक

3.3.1 मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रोशन लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

3.3.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) लिमिटेड, विकासक द्वारा प्लॉट संख्या 1, ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, तहसील-खुर्जा, जिला-बुलंदशहर-203131 (उत्तर प्रदेश) में स्थित अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में निम्नलिखित अधिकृत संचालन करने के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दी:-

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफ़ॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
1.	छिड़काव, आग और धूम्र संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	2.60
	कुल		2.60

3.3.3 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मद संख्या 4: विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों के स्वीकृति पत्र (LOA) के विलय का प्रस्ताव-संबंधी।

4.1 मेसर्स आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड, इकाई

4.1.1 मेसर्स आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री नंद सरदाना, श्री कुमार गौरव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार, स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/45/2019-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) /10944 दिनांक 23.09.2019 को स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/43/2016-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) /9942 दिनांक 19.10.2016 में विलय करने के मेसर्स आर सिस्टम्स इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि उस इकाई के उत्पादन शुरू होने की तारीख से होगी जो पहले शुरू हुई थी, अर्थात् 28.02.2017 से और आयकर छूट पहली इकाई के संचालन शुरू होने की तारीख से मानी जाएगी, अर्थात् 28.02.2017 से। विलय की गई इकाई के संशोधित अधिकृत संचालन और अनुमान निम्नानुसार होंगे:-

- सॉफ्टवेयर विकास
- सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास,
- सॉफ्टवेयर उत्पाद रखरखाव और समर्थन,
- सॉफ्टवेयर परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन
- व्यावसायिक प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाएँ (बीपीओ)
- आईटी सेवाएँ

vii. आईटी-सक्षम सेवाएँ
इकाई ने स्वीकृति पत्र (LOA) के विलय के बाद के अनुमान प्रस्तुत किए हैं।

विवरण (पाँच वर्ष के लिए)	मूल्य (लाखों में)
निर्यात का एफओबी मूल्य	164617.04
विदेशी मुद्रा व्यय	19821.84
एनएफई आय	144795.20
आयातित पूंजीगत सामान:	729.72
स्वदेशी पूंजीगत वस्तुएँ:	827.04
आयातित इनपुट सेवाएँ:	19821.84
स्वदेशी इनपुट सेवाएँ:	22147.97
प्रस्तावित रोज़गार सृजन	2850 (संख्या में)

मद संख्या 05: निदेशक मंडल में परिवर्तन की सूचना।

5.1 मेसर्स एक्सल सर्विस डॉट कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

5.1.1 मेसर्स एक्सल सर्विस डॉट कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री रविन्द्र लखन पाल और श्री रमन भसीन बैठक कक्ष में उपस्थित हुए और कंपनी के वर्तमान शेयरधारिता स्वरूप और निदेशकों की सूची के बारे में बताया।

कंपनी का शेयरधारिता स्वरूप: -

इक्विटी शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का अंकित मूल्य (भारतीय रुपये में)	कुल चुकता शेयर पूंजी का %	शेयरधारकों की श्रेणी
1. एक्सलसर्विस मॉरीशस लिमिटेड, मॉरीशस	1,47,93,577	14,79,35,770	99.99999%	विदेशी कंपनी
2. एक्सलसर्विस होल्डिंग्स इंक, डेलावेयर, यूएसए	02	20	0.00001%	विदेशी कंपनी
	14793579	147935790	100%	

निदेशकों के परिवर्तन का विवरण: -

पूर्व निदेशक	वर्तमान निदेशकों की सूची
1. विकास भल्ला 2. डेविड गुब्बे 3. बलजिंदर सिंह सभरवाल 4. भावना न्यूले चोपड़ा	1. विकास भल्ला 2. डेविड गुब्बे 3. बलजिंदर सिंह सभरवाल 4. भावना न्यूले चोपड़ा 5. संदीप टिबरेवाल

5.1.2 अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई की दो अलग-अलग स्वीकृति पत्र (LOA) वाली दो इकाइयाँ हैं। इनमें से एक इकाई, जिसका स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/58/2019-SEZ13119 दिनांक 20.11.2019 है, मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित है और दूसरी इकाई, जिसका स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/303/2010-SEZ/396 दिनांक 14.10.2010 है, मेसर्स ऑक्सीजन बिज़नेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में स्थित

है। अनुमोदन समिति ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 के अनुसार, दोनों इकाइयों के लिए कंपनी के निदेशकों में हुए बदलावों पर ध्यान दिया।

मद संख्या 06: मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, विकासक का प्लॉट संख्या 20 और 21, सेक्टर- 135, नोएडा (यूपी) में आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के प्रसंस्करण क्षेत्र में सुविधा प्रदाताओं को निर्मित स्थान पट्टे पर देने के लिए एकमुश्त पूर्व अनुमोदन प्रदान करने का प्रस्ताव।

6.1 मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, विकासक

6.1.1 मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के डीजीएम श्री बी. डी. जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

6.1.2 मेसर्स गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, विकासक ने अपने पत्र दिनांक 22.07.2025 के माध्यम से, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार, अनुमोदन समिति से एकमुश्त अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि भवन संख्या बी-1 के भूतल में निर्दिष्ट सुविधा स्थान को भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर, विशेष रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के उपयोग हेतु, संबंधित सेवा प्रदाताओं (जैसे, कैफेटेरिया, शिशु-गृह, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जिम आदि) को पट्टे पर दिया जा सके। विकासक के प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि सुविधा आवंटन और समर्पण में प्रत्येक अनुवर्ती परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को क्षेत्र और सेवा प्रदाता के विस्तृत विवरण सहित दी जाएगी।

6.1.3 अनुमोदन समिति ने पाया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के नियम 11(5) के अनुसार, "विकासक अनुमोदन समिति के पूर्व अनुमोदन से कैंटीन, सार्वजनिक टेलीफोन बूथ, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, शिशु-गृह और ऐसी अन्य सुविधाएं बनाने के लिए पट्टे पर भूमि या निर्मित स्थान दे सकता है, जो इकाई के अनन्य उपयोग के लिए आवश्यक हो सकती हैं।"

6.1.4 अनुमोदन समिति ने प्रावधानों का विश्लेषण किया और विकासक के सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने पाया कि एकमुश्त अनुमोदन एक व्यापार सुविधा उपाय होगा और इस बात पर प्रकाश डाला कि नियम 11(5) सुविधाओं के निर्माण के लिए अनुमोदन समिति अनुमोदन की बात करता है, न कि व्यक्तिगत सुविधा प्रदाताओं को आवंटन की। इसके अलावा, इन सुविधा प्रदाताओं को कोई कर/शुल्क लाभ नहीं दिया जा रहा था। यह भी ध्यान दिया गया कि पूर्व में मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (विकासक) को भी इसी तरह की मंजूरी दी गई थी। उचित विचार-विमर्श के बाद और उपरोक्त अनुच्छेद और पूर्व उदाहरणों में दिए गए विचारों के आधार पर, अनुमोदन समिति ने नियम 11(5) के अनुसार सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के प्रसंस्करण क्षेत्र में बिल्डिंग नंबर बी-1 के भूतल में निर्मित स्थान को संबंधित सेवा प्रदाताओं (जैसे, कैफेटेरिया, शिशु-गृह, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, जिम आदि) को पट्टे पर देने के लिए एकमुश्त अनुमोदन के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि जब भी सेवा प्रदाताओं में ऐसा परिवर्तन होगा तो विकासक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को सूचना देगा, साथ ही ऐसे परिवर्तनों के 30 दिनों के भीतर प्रत्येक विक्रेता को आवंटित क्षेत्र का विवरण दिखाने वाली एक समेकित सूची भी प्रस्तुत करेगा, ताकि कार्योत्तर सूचना अनुमोदन समिति को दी जा सके।

मद संख्या 07: मेसर्स टेली-परफॉर्मेंस ग्लोबल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स सी व्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईटी/आईटीईएस, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), प्लॉट संख्या 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (यूपी) में स्थित अपनी इकाई के क्षेत्र (इन्क्यूबेशन सेंटर) के आंशिक समर्पण के लिए प्रस्ताव।

7.1 मेसर्स टेलीपरफॉर्मैस ग्लोबल बिज़नेस प्राइवेट लिमिटेड

7.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद कुल (इन्क्यूबेशन स्पेस) क्षेत्र 91179 वर्ग फीट के आंशिक समर्पण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें 25173 वर्ग फीट, 6वीं मंजिल, टॉवर-10, 31053 वर्ग फीट, 9वीं मंजिल, टॉवर-9 और 34953 वर्ग फीट, 12वीं मंजिल, टॉवर-09, सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर 135, नोएडा में शामिल है।

7.1.2 इसके अलावा, इकाई हटाए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।

मद संख्या 08: सुधार अनुरोध-अनुमोदन समिति बैठक दिनांक 05.06.2025 के कार्यवृत्त-संबंधी।

8.1 मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

8.1.1 श्री विनोद पारेख, श्री राकेश त्रिखा और सुश्री कशिश त्रिखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और बताया कि उन्होंने दिनांक 05.06.2025 के अनुमोदन समिति के कार्यवृत्त में सुधार हेतु एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

8.1.2 अनुमोदन समिति ने अभ्यावेदन पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद पाया कि कारण बताओ नोटिस का मसौदा नोएडा सीमा शुल्क विभाग को जारी करने के लिए भेज दिया गया है और सीएचए (अर्थात मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस) की ओर से कथित कदाचार की जाँच की जा रही है। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने डीसी कार्यालय को इकाई द्वारा अपने अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों के संबंध में वाईपी लीगल एंड लीगल फर्म से कानूनी राय लेने के बाद फाइल पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

मद संख्या 09: अर्शिया नॉर्दर्न मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (FTWZ) स्थित अपनी इकाई के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त वस्तुओं को शामिल करना। स्वीकृति पत्र (LOA) संख्या 10/16/2023-विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) /5784 दिनांक 26.07.2023-के संबंध में।

9.1 मेसर्स वी स्पिरिट इंक.

9.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और पाया कि संयुक्त विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आदेश 07.10.2024 के तहत गठित आंतरिक समिति ने घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के लिए कुछ शर्तों के साथ स्वीकृति पत्र (LOA) में प्रस्तावित 8 अंकों वाले एचएस कोड को शामिल करने की सिफारिश की है। अनुमोदन समिति ने उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित वस्तुओं को विशेष रूप से निर्यात के लिए इकाई के स्वीकृति पत्र (LOA) में शामिल करने का निर्णय लिया:

क्रम संख्या	उत्पाद का नाम	एचएस कोड	आयात/निर्यात नीति
1.	माल्ट से बनी बीयर	22030000	मुफ्त
2.	स्पार्कलिंग वाइन	22041000	मुफ्त
3.	पोर्ट और अन्य वाइन	22042100	मुफ्त
4.	शेरी और अन्य सफ़ेद वाइन	22042120	मुफ्त
5.	अन्य	22042190	मुफ्त
6.	अन्य	22042290	मुफ्त
7.	अन्य अंगूर मस्ट	22043000	मुफ्त

 7

हालांकि, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) बिक्री के संबंध में अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त कार्यालय को मामले की आंतरिक जांच के बाद फाइल पर निर्णय लेने का अधिकार दिया।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।



(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

अ. बिपिन मेनन
(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त